न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 16/22 (प्रा.पत्र)

GCMS No: 2022/72

1. श्री चून्नीलाल पिता प्याराजी सुथार निवासी धारता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्री नारायणलाल पिता भगवान जी सुथार निवासी धारता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज0)।

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री कन्ना पुत्र हमेरा जी मीणा निवासी धारता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्रीमती उदी पुत्री हमेरा जी मीणा निवासी धारता हाल मुकाम सूरतपुरा तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्रीमती नारू पुत्री हमेरा जी मीणा निवासी धारता हाल मुकाम सूरतपुरा तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज0)।
4. श्रीमती प्यारी बाई पुत्री हमेरा जी मीणा निवासी धारता हाल मुकाम मोरवण तहसील डूंगला जिला चित्तोडगढ (राज0)।
5. श्रीमती खेमी बाई पत्नी हमेरा जी मीणा निवासी धारता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज0)।
6. श्रीमती गेंदी बाई पत्नी रूपाजी मीण निवासी धारता तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री वगता पुत्र रूपाजी मीणा निवासी धारता तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज0)
8. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड़ जिला उदयपुर राज0

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 05.07.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:58 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थीद्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धारता, पटवार हल्का धारता, भू-अभिलेख निरीक्षक सालेडा, तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के खातेदारी

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

आराजी नम्बर 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 853, 854, 855, 8... 860, 861, 862, 863, किता 18 रकबा 1.9600 हैक्टेयर स्थित हैं जिस पर प्रार्थीगण एवं पूर्वाधिकारी सदीप से काश्त करते चले आ रहे है। ताईद में नकल जमाबंदी पेश हैं।

2. यह कि मौजा मौजा धारता, पटवार हल्का धारता, भू–अभिलेख निरीक्षक सालेडा, तह... कानोड जिला उदयपुर राज. में खसरा नम्बर 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 8... किता 8 रकबा 3.2500 हैक्टेयर स्थित हैं जो विपक्षीगणों के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित... उक्त भूमि में से आराजी खसरा नम्बर 864 वादग्रस्त भूमि हैं। ताईद में नकल जमाबन्दी पेश है।

3. यह कि परिशिष्ट अ में वर्णित प्रार्थीगणों की आरजीयात् की भूमि में पहुंचने के लिये कलम नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात् में से आराजी खसरा नम्बर 864 के उत्तर दिशा में 20 फीट चौडा रास्ता अवस्थिरत्रत हैं जिससे होते हुए प्रार्थीगण कलम नम्बर 1 में वर्णित प्रार्थीगण की आराजीयात् में पहुंचते है, उक्त 20 फीट रौड रास्ते से प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारीयों के समय से आते जाते चले आ रहे हैं तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण सदीप से अपने बाप–दादाओं के समय से करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण इसी एक मात्र रास्ते से होकर अपनी आराजीयात् में आते जाते चले आ रहे हैं । उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगणों की भूमि में पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नही हैं, उक्त रास्ते को इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग हैं।

4. यह कि प्रार्थीगणों कि खातेदारी कृषि भूमि जो कलम नम्बर 1 में अवस्थित हैं उस पर जाने का रास्ता कलम नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात् में से आराजी खसरा नम्बर 864 के उत्तरी दिशा में उसी भूमि के हिस्से का एक आम रास्ता स्थित हैं परन्तु उक्त भूमि का प्रार्थीगण रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं किन्तु उक्त उक्त रास्ते की भूमि के हिस्से का राजस्व रेकर्ड में कोई नम्बर अंकित नही होने एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में अंकन नही होने से हम प्रार्थीगणों को विपक्षीगण बेजा परेशान

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

करते एवं उनको आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहें हैं, तथा विपक्षीगणों द्वारा उक्त रास्ते की भूमि में जेसीबी मशीन से खड्डे खोद कर भराव डाल कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया जिससे हमारा आना जाना बाधित हो गया हैं, जबकि उक्त रास्ते की ताईद आराजी खसरा नम्बर 864 के साबिक आरजी खसरा नम्बर 338 किता 1 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के साबिक नक्शा ट्रेस एवं साबिक सेटलमेंट के नक्शा ट्रेस से होती हैं।

यह कि कलम नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात् में से आरजी खसरा नम्बर 864 के उत्तरी दिशा में उसी भूमि के हिस्से का एक अलग से करीब 20 फीट चौडा रास्ता स्थित हैं परन्तु उक्त रास्ते की भूमि के हिस्से का राजस्व रेकर्ड में कोई नम्बर अंकित नही होने एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में अंकन नही होने से विपक्षीगण विवाद कर रहे हैं तथा जेसीबी मशीन से खड्डे खोद कर भराव डाल कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया समझाने पर भी नही मान रहे हैं। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड में करवान बाबत् प्रार्थीगण माननीय न्यायानय के आदेश की पालना में शुल्क जमा कराने को तैयार हैं। इसलिये प्रार्थीगण की भूमि जाने हेतु उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अंकित कराये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय आप में सुदृढ आधारों पर प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

6. यह कि बिनाय प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण अन्तिम बार दिनांक 02.01.2022 को पैदा हुआ जब विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगणों की भूमि में जाने के उक्त 20 फीट रास्ते की भूमि में जेसीबी मशीन से खड्डे खोद कर भराव डाल कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया उसके बाद विपक्षीगण ने रास्ते को लेकर चुनौति दिये जाने एवं लडाई गाली गलौच करने एवं बार बार समझाने एवं गांव के लोगों के द्वारा समझाईश पर भी नही मानने से पैदा हुआ जो निरन्तर जारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:58 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को [illegible] तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 7 बावजूद सूचना [illegible] रहने पर [illegible] विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में हमने तहसीलदार [illegible] से रिपोर्ट प्राप्त की।

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

8. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कानोड से रिपोर्ट मंगवाई गई। जो इस प्रकार है :—

i. यह कि ग्राम धारता, तहसील कानोड की आराजी नम्बर 823, 824, 825, 826, 82 828, 829, 830, 831, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, किता 1 रकबा 1.9600 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड अनुसार चुन्नीलाल पुत्र प्यारा 1/ नारायण पुत्र भगवान 1/4, गिरिजा पुत्री किशनलाल 1/60, घनश्याम पुत्र मोहन 1/20, दुर्गा पुत्री मोहन 1/20 दाखीबाई पत्नि भगवान 1/8, धापूबाई पत्नि स्व. मोहन 1/20, निरमा पुत्री मोहन 1/20 प्यारा पुत्र शंकर 1/4, विनीता पुत्री किशनलाल 1/60, सुमित्रा पत्नि स्व. किशनलाल 1/60, जाति सुथार सा. देह रास्ता ग्राम धारता से भीलों की भागल जाने वाली ग्रामीण सडक से आगे आराजी नं. 864 में अवस्थित है। इसी रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण वर्षो। से करते आ रहे है।

ii. यह कि ग्राम धारता की आराजी नं. 864 रकबा 0.28 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय लगान 7.28 रू. राजस्व रेकर्ड अनुसार श्री कना पुत्र हमेरा 2/15, उदी पुत्री हमेरा 2/15, नारू पुत्र हमेरा 2/15, प्यारी पुत्री हमेरा 2/15 रहन एसबीआई भीण्डर सभी, गेन्दी पत्नि रूपा 1/6, वगता पुत्र रूपा 1/6 रहन एसबीआई हिन्ता सभी जाति मीणा सा. दे हके नाम खातेदारी हक दर्ज रेकर्ड है। जो विपक्षीगण की शामलाती कृषि भूमि है। मौके पर रास्ते के निशानत भी कायम होकर मौजूद है, यही प्रस्तावित रास्ता है।

iii. यह कि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगणों को अपनी भूमि या खेत पर पहुचाने का यह एक मात्र रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। यही एकमात्र विकल्प है।

iv. प्रार्थीगण को अपने खेत पर जाने पर आने का यह निकटतम रास्ता है।

v. यह कि यह रास्ता सुविधा के लिये नही है इसकी प्रार्थीगणों को अत्यन्त आवश्यकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

. यह कि प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 20 फीट यानी 6 मीटर एवं नम्बाई 77 मीटर है, जिसका क्षेत्रफल 462 वर्गमीटर है।

i. यह कि प्रस्तावित रासते की 462 वर्गमीटर भूमि रिकॉर्ड अनुसार संचित होकर आबादी भूमि से दूर एवं सड़क के पास स्थित है डीएलसी दर अनुसार उक्त भूमि की दर 1053125 रू/हैक्टेयर है। गणना अनुसार प्रस्तावित रासते की 462 वर्गमीटर भूमि का दोगुना प्रतिकर 97310/– सत्यानवे हजार तीन सौ दस रूपये बनता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा धारता, पटवार हल्का धारता, भू–अभिलेख निरीक्षक सालेडा, तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के खातेदारी आराजी नम्बर 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, किता 18 रकबा 1.9600 हैक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि आराजी नम्बर 864 रकबा 0.28 हेक्टेयर में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। जो पूर्व में सदीप से ही चला आ रहा हैं जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। विपक्षीगण की आराजी में से प्रस्तावित 20 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार कानोड़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में 20 फीट चौडाई का आराजी नम्बर 864 में से 462 वर्गमीटर रास्ते हेतु प्रस्तावित किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। न्यूनतम दूरी वाला 462 वर्गमीटर का रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धारता, पटवार हल्का धारता, भू–अभिलेख निरीक्षक सालेडा, तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के खातेदारी आराजी नम्बर 823, 824, 825, 826, [illegible], 830, 831, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, किता 18 रकबा [illegible] हैक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 864 रकबा 0.28 हैक्टेयर [illegible] 462 वर्गमीटर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में 20 फीट चौडाई का [illegible] प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 1053125 रू/हैक्टेयर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

गणना अनुसार प्रस्तावित रास्ते की 462 वर्गमीटर भूमि का दोगुना प्रतिकर 973[...] सत्यानवे हजार तीन सौ दस रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर खातेदार विपक्षी सं. 1[...] को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1 से 7 को अदा कर[...] पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें[...] रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग[...] सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला[...] जावें। तहसीलदार कानोड़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा दुगने प्रति[...] की राशि 97310 डिमांड राशि लेकर विपक्षीगण के खातेदारी हक हिस्से अनुसार उन[...] समानुपातिक रूप से दिलायी जावे। प्रार्थीगण द्वारा डिमांड राशि प्राप्त होने के बाद राज[...] रेकर्ड मे रास्ते का अकंन करें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना [...] करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.)) सत्यमेव जयते

(रमेश सीरवी पुनाड़ियां RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner